

ई0पी0नं0-2-15

क्रमांक-158/2017

सं0 ई/227/2/भाग-15/चार

दिनांक 18-08-2017

सचिव/महाप्रबन्धक

सचिव/अपर महाप्रबन्धक

सभी विभागाध्यक्ष

सभी मण्डल रेल प्रबन्धक

सभी कार्मिक अधिकारी

सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक

सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना

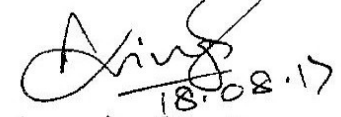
पूर्वोत्तर रेलवे।

विषय:-रेलवे नियुक्ति के लिए चयनित अराजपत्रित उम्मीदवारों की अपील पर विचार करना-चिकित्सा जाँच में अयोग्य घोषित किए गए उम्मीदवारों के मामले।

रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2014/एच/5/8 (पालिसी) दिनांक 07.07.2017 की हिन्दी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

रेलवे बोर्ड का सन्दर्भित पत्र दिनांक 31.12.2015 इस कार्यालय के परिपत्र सं0 ई/227/2/भाग-14/चार दिनांक 29.02.2016 (क्रमांक 243/2015) द्वारा पूर्व में परिचारित किया जा चुका है।

संलग्नक/यथोपरि

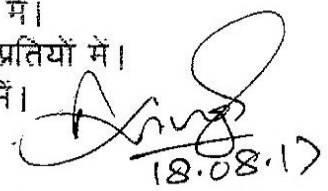

18.08.17

(ए0 के0 सिंह)

उपमुकाधि/अराज
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महामंत्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर - 40 प्रतियों में।
- 2- महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूउरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 3- महामंत्री/रेसुब एशोसियेशन/पूउरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 4- पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर - 01 प्रति में।
- 5- महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोर0-02 प्रतियों में।
- 6- मुकाय्याधी/एमपीपी को बेबसाइट पर अपलोड हेतु - 01 प्रति में।


18.08.17

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

3
15/01/2017

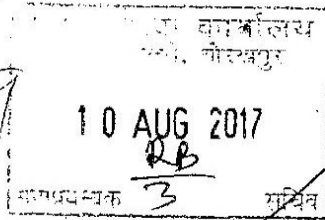
के अन्दर पुनर्विचार के लिए अपील की. ऐसे मामलों में, अपीलीय प्राधिकारी के लिए उम्मीदवार की मूल स्थिति के संबंध में निर्णय लेना वास्तव में मुश्किल हो गया. जो प्रारम्भिक चिकित्सा जांच के दौरान थी. अपीलीय प्राधिकारी इस बात का खंडन करने की स्थिति में नहीं होगा कि व्यक्ति को दवाइयां दी गई है या वर्तन संबंधी गलती आदि के लिए उसने शल्य उपचार कराया है. उम्मीदवारों की जांच, प्रारम्भिक चिकित्सा जांच में अयोग्य घोषित कर दिए जाने के मामले में उनकी अपील पर विचार करने तथा उच्चतर प्राधिकारियों द्वारा अनुवर्ती अपीलों के निपटान के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया निर्धारित करके इस स्थिति से निपटने का स्थायी उपाय करना है. इसे देखते हुए इस कार्यालय के दिनांक 05.06.2014 के समसंख्यक पत्र द्वारा जोनों को एक विस्तृत नीति संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए गए थे. यद्यपि इस कार्यालय द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण ने मामलों के निर्णय में जोनों को काफी हद तक मदद की है लेकिन विषय से संबंधित कुछ मुद्दों में आगे और स्पष्टीकरण आवश्यक है.

इस मामले पर कार्यालय में ध्यानपूर्वक विचार किया गया था और बोर्ड के दिनांक 05.06.2014 के समसंख्यक पत्र की अधिक्रमण करते हुए बोर्ड के दिनांक 31.12.2015 के समसंख्यक पत्र द्वारा संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए गए थे.

बहरहाल, चिकित्सा जांच और अपीलों के कतिपय मामलों में सतर्कता जांच के कारण पूरे मुद्दे की पुनः जांच की गई है और यह महसूस किया गया है कि भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली 2000 के प्रावधानों के अनुरूप सम्पूर्ण स्थिति को स्पष्ट करने के लिए बोर्ड के दिनांक 31.2.2015 के पत्र के पैरा III, VII (क एवं ख) में अंतर्विष्ट कतिपय प्रावधानों में संशोधन करने की जरूरत है. तदनुसार विषयगत मामले पर पिछले सभी पत्रों का अधिक्रमण करते हुए निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैं:-

- 1) चिकित्सा जांचकर्ता- चिकित्सा जांच में पर्याप्त अनुभव रखने वाले चिकित्सा अधिकारी द्वारा उम्मीदवारों की चिकित्सा जांच की जाएगी जिसे विशेष रूप से इस प्रयोजन के लिए प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/औषधि चिकित्सक (एमडी)/अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा नामित किया जाएगा, उचित प्रशिक्षण

39



भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

2
15/8/2017

सं. 2014/एच/5/8(पालिसी)

नई दिल्ली, दिनांक 07.07.2017

✓ महाप्रबंधक

NER

सभी भारतीय रेलें,
प्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/महानिदेशक,
अ.अ.मा.सं. सहित सभी उत्पादन इकाइयां.

ll. circulate -
14/8/17

11.08.17
मुख्य/प्रशा. 171
OS/Rulling

विषय: रेलवे नियुक्ति के लिए चयनित अराजपत्रित उम्मीदवारों की अपील पर विचार करना-चिकित्सा जाँच में अयोग्य घोषित किए गए उम्मीदवारों के मामले.

53

संदर्भ:- इस कार्यालय का दिनांक 05.06.2014 एवं 31.12.2015 का समसंख्यक पत्र.

रेल सेवाओं में विभिन्न अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति के लिए चयनित उम्मीदवारों की चिकित्सा जाँच की प्रतिकूल रिपोर्ट पर पुनर्विचार के लिए विस्तृत प्रावधान और अपील करने तथा उसके निपटान की प्रक्रिया भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली, तृतीय संस्करण, 2000 के पैरा 522(1) में निर्धारित किए गए हैं. तथापि उक्त प्रावधानों में यह स्पष्ट नहीं था कि कौन अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगा तथा प्रारंभिक चिकित्सा जांच के दौरान अयोग्य घोषित किए गए मामलों पर भी पुनर्विचार के लिए अपीलों की संख्या के परिणामस्वरूप अनुमत अपीलों की अधिकतम संख्या क्या होगी. कुछ उम्मीदवार अपनी पूर्व अपीलों पर क्षेत्रीय रेलवे के निर्णय पर पुनर्विचार के लिए रेलवे बोर्ड से भी संपर्क कर रहे थे.

कई मामले ऐसे भी हैं जिनमें उम्मीदवार की उच्च रक्तचाप/मधुमेह या दृश्य तीक्ष्णता समस्याओं से ग्रसित होने के कारण प्रारंभिक चिकित्सा जांचकर्ता द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया गया था. ऐसे कुछ उम्मीदवारों ने अपना उपचार करवाया और फिर निर्धारित समय सीमा

7/58/2017

दिया जाएगा और जोन/उत्पादन इकाई के मुख्य चिकित्सा निदेशक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा.

- II) यदि किसी उम्मीदवार को किसी आधार पर अयोग्य (अस्थायी/स्थायी) पाया जाता है तो चिकित्सा जांचकर्ता कोई प्रमाण-पत्र जारी नहीं करेगा और इकाई/मंडल/उप मंडल/उत्पादन इकाई चिकित्सालय के प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी/औषधि चिकित्सक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को विस्तृत चिकित्सा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा.
- III) प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/औषधि चिकित्सक/अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक फिर एक तीन सदस्यीय चिकित्सा समिति का गठन करेगा जिसमें 1) प्रारंभिक चिकित्सा जांचकर्ता के अलावा कमी से संबंधित क्षेत्र का एक विशेषज्ञ होगा. बहरहाल, यदि इकाई/मंडल/उत्पादन इकाई में विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं हो तो एक वरिष्ठ चिकित्सक, जो कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड से नीचे का न हो, को विशेषज्ञ के स्थान पर नामित किया जाएगा. 2) पहली चिकित्सा जांच करने वाले के अलावा कोई अन्य चिकित्सा अधिकारी जो मंडल चिकित्सा अधिकारी से नीचे रैंक का न हो. 3) कोई भी वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी जो कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड से कम न हो.
- IV) यह तीन सदस्यीय चिकित्सा समिति, आवेदक द्वारा अधिमानित किसी अपील के बिना उचित उत्साह से उम्मीदवार की जांच करेगी. ऐसे उम्मीदवार को चिकित्सा अधिकारियों की समिति द्वारा यथापेक्षित अवलोकन और जांच पड़ताल के लिए अनिवार्यतः अंतरंग वार्ड में भर्ती किया जाएगा. ऐसी जांच पड़ताल और/या परामर्श जो कि इन-हाऊस उपलब्ध नहीं है जिनके प्रभार संबंधित उम्मीदवार द्वारा वहन किए जाएंगे, को छोड़कर इस संबंध में स्थान प्रभार आदि प्रशासन द्वारा वहन किए जाएंगे. समिति उस चिकित्सा कोटि जिसके लिए उसने चिकित्सा जांच के लिए रिपोर्ट किया है, में योग्यता अथवा अन्यथा के संबंध में अपनी राय और स्पष्ट आदेश के साथ प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/औषधि चिकित्सक/अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी. सभी रिपोर्टों और संबंधित कागजातों पर नीचे स्पष्ट रूप से लिखे नाम के ऊपर उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए. (अंगूठे की छाप यदि हस्ताक्षर करने में समर्थ न

5
15/01/2017

हो) आवेदक को एक घोषणा पत्र पर भी हस्ताक्षर करना होगा "तीन सदस्यों द्वारा मेरी पूर्णतया जांच और जांच पड़ताल की गई है". प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/औषधि चिकित्सक/अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिपोर्ट की जांच करेंगे और उनके अनुमोदन के पश्चात् अपना निर्णय प्रारंभिक चिकित्सा जांचकर्ता को संसूचित करेंगे जो, तदनुसार, अंतिम चिकित्सा जांच प्रमाण-पत्र जारी करेगा.

टिप्पणी:-

1. यदि प्रारंभिक चिकित्सा प्राधिकारी या तीन सदस्यीय समिति की यह राय हो कि उम्मीदवार की चिकित्सा कमी/हालत का इलाज संभव है तो उम्मीदवार "अस्थायी अयोग्य" घोषित किया जाएगा और उसे समय-सीमा के भीतर जो उम्मीदवार को दी गई सलाह की तारीख के छः माह से अधिक न हो, इलाज करवाने की सलाह दी जाएगी जिसके साथ एक लिखित सूचना होगी और उसकी एक प्रति मेमो जारी करने वाले प्राधिकारी को पृष्ठांकित की जाएगी. लिखित सूचना में यह भी शामिल होगा कि निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर इलाज के समापन के बाद उम्मीदवार को प्रारंभिक चिकित्सा जांचकर्ता को रिपोर्ट करना होगा. फिर प्रारंभिक चिकित्सा जांचकर्ता/चिकित्सा समिति उम्मीदवार की पुनः जांच करेगी, जैसा भी मामला हो और अंतिम निर्णय के लिए इकाई/मंडल/उपमंडल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/औषधि चिकित्सक/आई/सी को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी. अंतिम निर्णय के अनुमोदन के बाद प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/ मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/औषधि चिकित्सक प्रारंभिक चिकित्सा जांचकर्ता को ऊपर दिए गए अनुसार अन्तिम चिकित्सा जांच प्रमाण-पत्र जारी करने का निदेश देगा.
 2. जारी किए गए प्रमाण-पत्र संबंधित कार्मिक शाखा को भेजे जाने चाहिए.
- V) यदि तीन सदस्यीय चिकित्सा समिति द्वारा जांच के पहले/दौरान उम्मीदवार जान-बूझकर भाग जाता है या अनुपस्थित रहता है तो यह तथ्य रिकॉर्ड किया जाना चाहिए

और पहले चिकित्सा जांचकर्ता का निर्णय लागू होगा और ऐसे मामलों में आगे कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी.

VI) यदि उम्मीदवार समिति के निर्णय के विरुद्ध अपील करना चाहता है, तो उसे यह अपील एक माह के भीतर (कार्मिक विभाग से निर्णय को प्राप्ति की तारीख से) जोन के संबंधित कार्मिक विभाग के माध्यम से यथोचित औचित्य के साथ जोन के मुख्य चिकित्सा निदेशक को प्रस्तुत करनी होगी. ऐसी अपील तभी स्वीकार की जाएगी यदि उम्मीदवार उस विशेषता/विशिष्टताओं जिनमें उसे अयोग्य पाया गया है, सरकारी/निजी चिकित्सक से प्राप्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता है. ऐसे प्रमाण-पत्र में एक टिप्पणी होनी चाहिए कि सरकारी/निजी विशेषज्ञ को विशेष चिकित्सा श्रेणी के लिए रेलवे द्वारा निर्धारित किए गए शारीरिक और दृश्यों मानकों के बारे में पूरी जानकारी है और वह इस तथ्य से अवगत है कि उम्मीदवार को इस संबंध में सरकार द्वारा नियुक्त किए गए तीन वरिष्ठ रेलवे डाक्टरों वाले उपयुक्त चिकित्सा बोर्ड द्वारा आयोजित चिकित्सा जांच के दौरान इन मानकों के अनुसार पहले ही अयोग्य घोषित किया जा चुका है. प्रमाण-पत्र में फोटो और उम्मीदवारों का पहचान चिन्ह हो जिसे सरकार/निजी जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा विधिवत् सत्यापित किया जाए. ऐसे जारीकर्ता प्राधिकारी अपने एमसीआई/राज्य पंजीकरण संख्या का भी उल्लेख करें. उम्मीदवार को इस पैरा से स्पष्ट रूप से अवगत कराया जाए.

VII) मुख्य चिकित्सा निदेशक को अपील के सभी मामलों में प्रभार उम्मीदवार द्वारा देय होंगे तथा इसके लिए उम्मीदवार को संबंधित जोन/उत्पादन इकाई के विस एवं मुलेधि के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से 1000/-रु. का भुगतान करना अपेक्षित होगा. विभाग ऐसे डिमांड ड्राफ्टों को अपने पास रखेगा और यदि आवश्यक हो तो जारीकर्ता शाखा से उनकी प्रामाणिकता की जांच करवाएगा. उत्पादन इकाइयों के मामले में अपील पर विचार करने की ऐसी शक्ति पड़ोसी/मूल जोन के मुख्य चिकित्सा निदेशक के पास होगी जहां उत्पादन इकाई पहले से संबद्ध थी अथवा वर्तमान में स्थित है.



7
15/8/2017

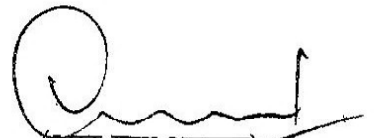
VIII) जहां मुख्य चिकित्सा निदेशक की राय हो कि अपील के मामले की पुनः जांच होनी चाहिए तो वह उम्मीदवार की पुनः जांच के लिए एक चिकित्सा बोर्ड नामित कर सकता है। मुख्य चिकित्सा निदेशक द्वारा विधिवत् अनुमोदित चिकित्सा बोर्ड की सिफारिशें संबंधित कार्मिक विभाग के माध्यम से उम्मीदवार को संसूचित की जाएंगी।

IX) यदि, इस स्तर पर निर्णय अयोग्य से योग्य में बदल जाता है तो रेलवे को जमा किया गया डिमांड ड्राफ्ट उम्मीदवार को वापस कर दिया जाएगा। अन्य सभी मामलों में यह डिमांड ड्राफ्ट रेलवे राजस्व को उसी शीर्ष में क्रेडिट किया जाएगा जिसमें चिकित्सा जांच शुल्क जमा किया जा रहा है।

साधारणतया, आगे कोई अपील अनुमेय नहीं होगी लेकिन अपवादिक मामले यदि कोई हो तो आवश्यक मार्ग निर्देश के लिए महानिदेशक/रेल स्वास्थ्य सेवा, रेलवे बोर्ड को भेजे जाएं।

इसके साथ भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली 2000 के पैरा 522(1) के लिए अग्रिम शुद्धि पर्ची संलग्न है।

इसे बोर्ड (सदस्य कार्मिक) का अनुमोदन प्राप्त है।



(आर.एस.शुक्ला)

संयुक्त निदेशक/स्वास्थ्य
रेलवे बोर्ड.

प्रतिलिपि प्रेषित:-

- (i) मुख्य चिकित्सा निदेशक, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयों सहित सूचनार्थ.
- (ii) मुख्य कार्मिक अधिकारी, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयों सहित सूचनार्थ.

भारतीय रेलव चिकित्सा नियमावली, 2000 के पैरा 522 के लिए अग्रिम शुद्धि पर्ची.

भारतीय रेलव चिकित्सा नियमावली, 2000 के पैरा 522 के उप पैरा (1) को निम्नानुसार पढ़ा जाए:-

- I) चिकित्सा जांचकर्ता- चिकित्सा जांच में पर्याप्त अनुभव रखने वाले चिकित्सा अधिकारी द्वारा उम्मीदवारों की चिकित्सा जांच की जाएगी जिसे विशेष रूप से इस प्रयोजन के लिए प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/औषधि चिकित्सक (एमडी)/अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा नामित किया जाएगा, उचित प्रशिक्षण दिया जाएगा और जोन/उत्पादन इकाई के मुख्य चिकित्सा निदेशक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा.
- II) यदि किसी उम्मीदवार को किसी आधार पर अयोग्य (अस्थायी/स्थायी) पाया जाता है तो चिकित्सा जांचकर्ता कोई प्रमाण-पत्र जारी नहीं करेगा और इकाई/मंडल/उप मंडल/उत्पादन इकाई चिकित्सालय के प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी/औषधि चिकित्सक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को विस्तृत चिकित्सा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा.
- III) प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/औषधि चिकित्सक/अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक फिर एक तीन सदस्यीय चिकित्सा समिति का गठन करेगा जिसमें 1) प्रारंभिक चिकित्सा जांचकर्ता के अलावा कमी से संबंधित क्षेत्र का एक विशेषज्ञ होगा. बहरहाल, यदि इकाई/मंडल/उत्पादन इकाई में विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं हो तो एक वरिष्ठ चिकित्सक, जो कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड से नीचे का न हो, को विशेषज्ञ के स्थान पर नामित किया जाएगा. 2) पहली चिकित्सा जांच करने वाले के अलावा कोई अन्य चिकित्सा अधिकारी जो मंडल चिकित्सा अधिकारी से नीचे रैंक का न हो. 3) कोई भी वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी जो कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड से कम न हो.

IV) यह तीन सदस्यीय चिकित्सा समिति, आवेदक द्वारा अधिमानित किस्म के बिना उचित उत्साह से उम्मीदवार की जांच करेगी. ऐसे उम्मीदवार को चिकित्सा अधिकारियों की समिति द्वारा यथापेक्षित अवलोकन और जांच पड़ताल के लिए अनिवार्यतः अंतरंग वार्ड में भर्ती किया जाएगा. ऐसी जांच पड़ताल और/या परामर्श जो कि इन-हाऊस उपलब्ध नहीं है जिनके प्रभार संबंधित उम्मीदवार द्वारा वहन किए जाएंगे, को छोड़कर इस संबंध में स्थान प्रभार आदि प्रशासन द्वारा वहन किए जाएंगे. समिति उस चिकित्सा कोटि जिसके लिए उसने चिकित्सा जांच के लिए रिपोर्ट किया है, में योग्यता अथवा अन्यथा के संबंध में अपनी राय और स्पष्ट आदेश के साथ प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/औषधि चिकित्सक/अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी. सभी रिपोर्टों और संबंधित कागजातों पर नीचे स्पष्ट रूप से लिखे नाम के ऊपर उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए. (अंगूठे की छाप यदि हस्ताक्षर करने में समर्थ न हो) आवेदक को एक घोषणा पत्र पर भी हस्ताक्षर करना होगा "तीन सदस्यीय समिति द्वारा मेरा पूर्णतया जांच और जांच पड़ताल की गई है". प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/औषधि चिकित्सक/अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक रिपोर्ट की जांच करेंगे और उनके अनुमोदन के पश्चात् अपना निर्णय प्रारंभिक चिकित्सा जांचकर्ता को संसूचित करेंगे जो, तदनुसार, अंतिम चिकित्सा जांच प्रमाण-पत्र जारी करेगा.

टिप्पणी:-

- i) यदि प्रारंभिक चिकित्सा प्राधिकारी या तीन सदस्यीय समिति की यह राय हो कि उम्मीदवार की चिकित्सा कमी/हालत का इलाज संभव है तो उम्मीदवार "अस्थायी अयोग्य" घोषित किया जाएगा और उसे समय-सीमा के भीतर जो उम्मीदवार को दी गई सलाह की तारीख के छः माह से अधिक न हो, इलाज करवाने की सलाह दी जाएगी जिसके साथ एक लिखित सूचना होगी और उसकी एक प्रति मेमो जारी करने वाले प्राधिकारी को पृष्ठांकित की जाएगी. लिखित सूचना में यह भी शामिल होगा कि निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर इलाज के समापन के बाद उम्मीदवार को

10
15/8/2017

प्रारंभिक चिकित्सा जांचकर्ता को रिपोर्ट करना होगा. फिर प्रारंभिक चिकित्सा जांचकर्ता/चिकित्सा समिति उम्मीदवार की पुनः जांच करेगी, जैसा भी मामला हो और अंतिम निर्णय के लिए इकाई/मंडल/उपमंडल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/औषधि चिकित्सक/आई/सी को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी. अंतिम निर्णय के अनुमोदन के बाद प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/ मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/औषधि चिकित्सक प्रारंभिक चिकित्सा जांचकर्ता को ऊपर दिए गए अनुसार अन्तिम चिकित्सा जांच प्रमाण-पत्र जारी करने का निदेश देगा.

- ii) जारी किए गए प्रमाण-पत्र संबंधित कार्मिक शाखा को भेजे जाने चाहिए.
- V) यदि तीन सदस्यीय चिकित्सा समिति द्वारा जांच के पहले/दौरान उम्मीदवार जान-बूझकर भाग जाता है या अनुपस्थित रहता है तो यह तथ्य रिकॉर्ड किया जाना चाहिए और पहले चिकित्सा जांचकर्ता का निर्णय लागू होगा और ऐसे मामलों में आगे कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी.
- VI) यदि उम्मीदवार समिति के निर्णय के विरुद्ध अपील करना चाहता है, तो उसे यह अपील एक माह के भीतर (कार्मिक विभाग से निर्णय को प्राप्ति की तारीख से) जोन के संबंधित कार्मिक विभाग के माध्यम से यथोचित औचित्य के साथ जोन के मुख्य चिकित्सा निदेशक को प्रस्तुत करनी होगी. ऐसी अपील तभी स्वीकार की जाएगी यदि उम्मीदवार उस विशेषता/विशिष्टताओं जिनमें उसे अयोग्य पाया गया है, सरकारी/निजी चिकित्सक से प्राप्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता है. ऐसे प्रमाण-पत्र में एक टिप्पणी होनी चाहिए कि सरकारी/निजी विशेषज्ञ को विशेष चिकित्सा श्रेणी के लिए रेलवे द्वारा निर्धारित किए गए शारीरिक और दृश्यों मानकों के बारे में पूरी जानकारी है और वह इस तथ्य से अवगत है कि उम्मीदवार को इस संबंध में सरकार द्वारा नियुक्त किए गए तीन वरिष्ठ रेलवे डाक्टरों वाले उपयुक्त चिकित्सा बोर्ड द्वारा आयोजित चिकित्सा जांच के दौरान इन मानकों के अनुसार पहले ही अयोग्य घोषित किया जा चुका है. प्रमाण-पत्र में फोटो और उम्मीदवारों का पहचान चिन्ह हो जिसे सरकार/निजी जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा विधिवत् सत्यापित किया जाए. ऐसे जारीकर्ता

11
158/2017

प्राधिकारी अपने एमसीआई/राज्य पंजीकरण संख्या का भी उल्लेख करें. उम्मीदवार इस पैरा से स्पष्ट रूप से अवगत कराया जाए.

VII) मुख्य चिकित्सा निदेशक को अपील के सभी मामलों में प्रभार उम्मीदवार द्वारा देय होंगे तथा इसके लिए उम्मीदवार को संबंधित जोन/उत्पादन इकाई के विस एवं मुलेधि के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से 1000/-रु. का भुगतान करना अपेक्षित होगा. विभाग ऐसे डिमांड ड्राफ्टों को अपने पास रखेगा और यदि आवश्यक हो तो जारीकर्ता शाखा से उनकी प्रामाणिकता की जांच करवाएगा. उत्पादन इकाइयों के मामले में अपील पर विचार करने की ऐसी शक्ति पड़ोसी/मूल जोन के मुख्य चिकित्सा निदेशक के पास होगी जहां उत्पादन इकाई पहले से संबद्ध थी अथवा वर्तमान में स्थित है.

VIII) जहां मुख्य चिकित्सा निदेशक की राय हो कि अपील के मामले की पुनः जांच होनी चाहिए तो वह उम्मीदवार की पुनः जांच के लिए एक चिकित्सा बोर्ड नामित कर सकता है. मुख्य चिकित्सा निदेशक द्वारा विधिवत् अनुमोदित चिकित्सा बोर्ड की सिफारिशें संबंधित कार्मिक विभाग के माध्यम से उम्मीदवार को संसूचित की जाएंगी.

IX) यदि, इस स्तर पर निर्णय अयोग्य से योग्य में बदल जाता है तो रेलवे को जमा किया गया डिमांड ड्राफ्ट उम्मीदवार को वापस कर दिया जाएगा. अन्य सभी मामलों में यह डिमांड ड्राफ्ट रेलवे राजस्व को उसी शीर्ष में क्रेडिट किया जाएगा जिसमें चिकित्सा जांच शुल्क जमा किया जा रहा है.

साधारणतया, आगे कोई अपील अनुमेय नहीं होगी लेकिन अपवादिक मामले यदि कोई हो तो आवश्यक मार्ग निर्देश के लिए महानिदेशक/रेल स्वास्थ्य सेवा, रेलवे बोर्ड को भेजे जाएं.

